



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या-1, सेक्टर के0पी0-IV, ग्रेटर नौएडा सिटी

जनपद गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0 201301

पत्रांक :सम्प/ GHS/2024/ 195

दिनांक- 17.09.2024

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की ग्रुप हाउसिंग योजना के अन्तर्गत SENIOR CITIZEN HOME COMPLEX WELFARE SOCIETY भूखण्ड संख्या 02, पाकेट पी - 4 बिल्डर्स एरिया क्षेत्रफल 60896.65 एकड़ का आवंटन दिनांक 03.09.1996 को किया गया। समिति द्वारा उक्त भूखण्ड क्षेत्रफल 60896.65 वर्ग मीटर की लीज डीड दिनांक 24.05.1997 को निबन्धित कराते हुए भूखण्ड पर कब्जा प्राप्त किया गया। विभिन्न विवादों के कारण आवंटन के लगभग 27 वर्षों तक भी समिति का कार्यपूर्ति नही होने के कारण समिति के सदस्यों के पक्ष में त्रिपक्षीय सब-लीज डीड निष्पादित नही हो पाई।

समिति को भूखण्ड आवंटन के बाद इसके सदस्यों के पक्ष में सब-लीज डीड प्रारम्भ होने में लगभग 27 वर्षों का लम्बा समय लग जाने के कारण समिति के कतिपय मूल सदस्य/आवंटी अपने भवन को बिना सबलीज डीड कराए ही विक्रय कर चुके है। इस श्रेणी के आवंटियों के पक्ष में सीधे त्रिपक्षीय सब-लीज डीड कराये जाने हेतु प्राधिकरण की बोर्ड की आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में तत्कालीक आवश्यकता के दृष्टिगत निम्न नीति निर्धारित की जाती है:-

1. SENIOR CITIZEN HOME COMPLEX WELFARE SOCIETY के प्राधिकृत पदाधिकारियों को Subsequent Members की सूची सहित इस आशय का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाना होगा कि वर्तमान में Subsequent Members का ही आवंटित भवन पर कब्जा /स्वामित्व प्राप्त है तथा उनके पक्ष में समिति द्वारा वर्तमान तक प्राधिकरण से सब लीज डीड नही कराई गई है। समिति द्वारा ऐसे समस्त सदस्यों के पक्ष में सीधे सब लीज डीड कराये जाने हेतु पृथक-पृथक से समिति को एन०ओ०सी जारी किया जाना अनिवार्य होगा। समिति द्वारा मूल सदस्य से लेकर वर्तमान तक काबिजदार का पूर्ण विवरण प्राधिकरण को उपलब्ध कराना होगा।
2. SENIOR CITIZEN HOME COMPLEX WELFARE SOCIETY के Subsequent Members (काबिजदारों) को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि प्राधिकरण द्वारा सीधे उनके पक्ष में सब-लीज डीड निष्पादित कराये जाने के पश्चात यदि मूल सदस्य अथवा उनके वारिसों द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति की जाती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उसी काबिजदार की होगी जिसके पक्ष में प्राधिकरण सीधे सब लीज डीड कराएगा तथा इसके अतिरिक्त उस काबिजदार को रु 100/- के स्टाम्प पेपर पर Indemnity Bond देना होगा कि वह भवन के सापेक्ष पूर्व अथवा वर्तमान की किसी भी प्रकार की देयता की प्रतिपूर्ति स्वयं वहन करेगा तथा भविष्य में इससे संबंधित कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में योजित नही करेगा।
3. SENIOR CITIZEN HOME COMPLEX WELFARE SOCIETY द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में मूल सदस्य के पश्चात वर्तमान तक अंतिम काबिजदार जिसके पक्ष में प्राधिकरण

64

- सीधे सब लीज डीड निष्पादित कराएगा, उस काबिजदार को कमशः प्राधिकरण निर्धारित वर्तमान दर के अनुसार उतनी बार अंतरण शुल्क व स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति का वहन स्वयं करना होगा।
4. इस नीति के अन्तर्गत मात्र उन्ही सदस्यों के प्रकरण पर विचार किया जायेगा जिनके द्वारा समिति की कार्यपूर्ति की तिथि दिनांक 04 मार्च, 2024 से पूर्व भवन क्य किए गए है।
 5. SENIOR CITIZEN HOME COMPLEX WELFARE SOCIETY द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित Subsequent Members (काबिजदारों) की सूची के अतिरिक्त अन्य किसी भवन पर यह नीति प्रभावी / मान्य नहीं होगी।


उपरोक्त नीति SENIOR CITIZEN HOME COMPLEX WELFARE SOCIETY के Subsequent Members के हितों को सुरक्षित रखने हेतु निर्धारित की गयी है तथा भविष्य में ग्रुप हाउसिंग अथवा अन्य योजनाओं में इसका संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

उक्त आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 13.09.2024 के अनुपालन में जारी किया जा रहा है तथा तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(नवीन कुमार सिंह)
विशेष कार्याधिकारी (ग्रुप हाउसिंग)

प्रतिलिपि:-

- निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी () के अवलोकनार्थ।
- विशेष कार्याधिकारी () को सूचनार्थ प्रेषित।
- महाप्रबन्धक () को सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेब साईट पर सूचनार्थ अपलोड किए जाने हेतु।
- गार्ड फाईल।


विशेष कार्याधिकारी (ग्रुप हाउसिंग)